क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0450/O.A. No. 459/2024

दिनांकः–
Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 459/2024, Sampurna Nand Vs Ganga Sagar Singh (Stone Crusher).

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 459/2024, Sampurna Nand Vs Ganga Sagar Singh (Stone Crusher), the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

04/05/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-
1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
ई–मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 459/2024 Sampurna Nand Versus M/s Ganga Sagar Singh (Stone Crusher) & Ors.

1. UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
2. The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated 30.01.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
3. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

<table>
<tr><th>S.NO.</th><th>Major Air Pollution Control measures</th><th>Installation Status</th><th>Remark and Action Taken</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.</td><td>Partially Covered</td><td rowspan="7">As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking the CTO.
UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Covering of all conveyor belts.</td><td>Covered</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Wind breaking wall around the premises.</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Height of exhaust pipe of DG Set.</td><td>NO</td></tr>
</table>

4. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).

Scanned with OKEN Scanner

5. As per Regional Office, UPPCB, Sonebhadra records, CTO have issued to industry for operation of 01 stone crusher and production of stone grits @12500 Ton/Year by UPPCB. Plants and machineries for two stone crushers has established at same dug, which violates condition no. 02 of CTO and provision of Air/Water act.
6. The CTO application for operating the plant and machinery of second crusher has not applied.
7. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has received on 01.05.2024, which is under consideration.
8. Due to engage in election duty and nomination process, kindly provide us some time to conduct site visit.

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

04/05/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No. H05688/C-2/NGT-67/SCN/24 | दिनांक Date [illegible]
सेवा में, | पंजीकृत

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEI. CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तार्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEI, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध उल्लघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका ही होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्राप्त किया
[illegible]
M.N. 9838252156
20-01-2024

Scanned with OKEN Scanner

GSC Ganga Sagar Singh
CIVIL CONTRACTOR
Class A Contractor (Regd. with PWD Lucknow)
Phone : 7705838383, 7376838383

Office :
989/1, Varuna Vihar Colony
Sikraul, Varanasi (U.P.)

Resi.:
Village & Post - Karampur
Tehsil - Saidpur, Distt - Ghazipur (U. P.)

Email:
gangasagarsingh729@gmail.com

SPECIALIST

Civil & Road Construction Work (Equipped with all own Modern Machines & Equipments eg. Hot Mix. Wet Mix Plant. Motor Grader. Loader. J C B Paver Finisher Truks, Roller etc.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषयः मे0 गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम–भगौतीदेई, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या–एच05688/सी–2/एन0जी0टी0–67/एस.सी.एन./24 दिनांक–12.01.2024 को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या–एच05688/सी–2/एन0जी0टी0–67/एस.सी.एन./24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मोग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ–पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश दिनांक–11.02.2021 में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बाताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 को निक्षेप करने की कृपा करें।

30/01/2024

भवदीय

गंगा सागर सिंह
(गंगा सागर सिंह)
प्रो0 मे0 गंगा सागर सिंह, मीरजापुर

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 निक्षेप करने की कृपा करें।

(गंगा सागर सिंह)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

19 JAN 2024

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GM 531702

Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonebhadra

शपथ–पत्र
समक्ष
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

मैं गंगा सागर सिंह पुत्र श्री मेघवरन सिंह, उम्र 45 वर्ष, ग्राम–करमपुर, तहसील–सैदपुर, जनपद गाजीपुर(उ0प्र0) का मूल निवासी हूँ। **मेसर्स गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट), भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर** का प्रोपराइटर हूँ। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या–एच05688 / सी–2 / एन0जी0टी0–67 / एस.सी.एन. / 24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम मे विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:–

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

NOTARY
Ranjeet Singh
Tahsil Robertsganj
Distt- Sonebhadra
Reg. No- 2019/2384
Validity UP to 24.03.2025
GOVT. OF U.P. (INDIA)

कमशः........2 / ......पर

गंगा सागर सिंह

ता. २५ २०-०१-२०२४

मै. श्री गंगा सागर सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible]

गवाह [illegible]

गंगा सागर सिंह

[illegible]

30.1.24

Ganga Sagar Singh

been identified by shri [illegible]

appeared before me on 30.01.24

at .... and [illegible] that he

understands the contents mentioned in

the affidavit/Declaration Which are

true. And I administered oath to him

[illegible]

Notary

Before whom is Sworn [illegible]

326

NOTARY

Ranjeet [illegible]

Tahsil [illegible]

[illegible]

Reg. No. [illegible]

GOVT. OF U.P. (INDIA)

(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 16 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशोंहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

ह0 शपथग्राही

दिनांक–**29.01.2024**

गंगा सागर सिंह

(गंगा सागर सिंह)
मे0 गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट)
मीरजापुर

NOTARY GOVT. OF U.P. INDIA
Ranjeet Singh
Tahsil Robertsganj
Distt. Sonebhadra

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD, SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0 जी0 00 /OANO-521/S.C./2024 दिनांक–08.02.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः मेसर्स गंगासागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम्, 1981(यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखऊ के सदंर्भ संख्या–एच05688 / सी–2 / एन0जी0 टी0–67 / एस0सी0एन0 / 24 दिनांक–12.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक–11.02.2021 को इस कार्यालय के पत्र दिनांक–08.02.2024 द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स–गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक–12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर 146 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू0 09,12,500.00 (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

08/02/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162 उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र–231216
House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216
Email-rosonbhadra@uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्याः–

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023 से दिनांक–30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या–HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. उक्त उद्योग ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के आ0सं0–731मि0 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को–आर्डिनेट्स **25.05734**–अक्षांश एवं **82.99646** –देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 12500 टन/वर्ष सूचित है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में एक डग पर दो स्टोन क्रशर उद्योग की प्लाण्ट एवं मशीनरी स्थापित तथा संचालित अवस्था में पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा–प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा–कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लाथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।

4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रिंक्लिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रिंक्लिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख–रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया।

क्रमशः 2/पर....

Scanned with OKEN Scanner

6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक–16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तो के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पटि्टका विकसित नहीं पायी गयी।

7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 625 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।

8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उद्योग द्वारा एक डग पर दो स्टोन क्रशर प्लाण्ट एवं मशीनरी को बोर्ड से बिना सी0टी0ई0 प्राप्त किये स्थापित किया गया है एवं बिना सी0टी0ओ0 प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है, जो बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्त संख्या–02 का उल्लंघन है। इस प्रकार सहमति शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।

9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक–12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक–11.02.2021 में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। सहमति शर्तो का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0–118220/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक–11.02.2021 तथा संदर्भ सं0–118243/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक–11.02.2021 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक–08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।

12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक–19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक–28.12.2023, दिनांक–29.12.2023 एवं दिनांक–30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तो का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक–23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक–02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक–06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक–08.02.2024 तक अर्थात् **218** दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष **146** दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक–08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगाः–

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

क्रमशः 3/पर....

Scanned with OKEN Scanner

(3)

Where,

PI=50 (**Pollution Index=**50 for orange category unit)
N =146 (No. of days from which the non-compliance has been observed)
R = **250** (R factor in Rupees)
S = 0.5 (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)
LF=1.0 (Location Factor= **1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac**. (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

Environmental Compensation(EC) = PI x N x R x S x LF
= 50 x 146 x 250 x 0.5 x 1.0
= Rs. 9,12,500/-(Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम–भगौतीदेई, पो0–पटिहट्टा, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद–मीरजापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक–12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर **146** दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रू0 9,12,500.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

08/02/2024
(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner